न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 96/2017

तारीख रजू:– 01.09.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनूपसिंह
R.A.S.

1. बच्चूसिंह | पिसरान पूरन
2. गोविन्द | — पौत्र चिरमोली पुत्र श्री फूली
3. भगवानसिंह
4. चौथी पुत्र श्रीलाल
5. हरगिलास पुत्र हरचंद
6. रविन्द्र दत्तक वपुत्र बलजीत — पौत्र पदम पुत्र फूली
7. श्यामसुन्दर | पिसरान भगवत
8. कप्तान
9. हरज्ञान
10. राजू
11. समयसिंह | पिसरान चंदरू
12. रमेश
13. दलगंजी पुत्र श्री पदम
14. भूरसिंह दत्तक पुत्र जस्सी
15. रूकम | पिसरान विजयसिंह — पौत्र रघुवर पुत्र फूली
16. विष्णु
17. सुमन्त
18. राजेन्द्र पुत्र जवाहरसिंह

जाति सभी जाट निवासीयान महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ————————————————सायलान

बनाम

1. बच्चूसिंह
2. भरोसी
3. भगवानी

| पिसरान दीप पुत्र फूली जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————— गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय हिण्डौन सिटी

निर्णय

दिनांक :– 26/07/2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं मृतक फूली पुत्र सुखदेव की सन्तान हैं। इस मद में परिवार का सजरा अंकित किया है जिसमें फूली पुत्र सुखदेव के पांच लडके चिरमोली,पदम,दीप, रघुवर, रघुनाथ (लाऔलाद फौत) हैं, चिरमोली के एक लडका श्रीलाल एवं श्रीलाल के दो लडके पूरन व चौथी तथा पूरन के तीन लडके भगवानसिंह, बच्चू, गोविन्द हैं। पदम के छः लडके हरचंद,गिरधारी(लाऔलाद फौत), चदरू, बलजीत, दलगंजी (अविवाहित), जस्सी हैं तथा हरचंद के एक लडका हरगिलास तथा चतरू के चार लडके श्यामसुन्दर, कप्तान, हरज्ञान, राजू हैं तथा बलजीत के एक दत्तक पुत्र रविन्द्र है। दीप के वारिसान ग्यासी (लाऔलाद फौत), रामचरण (लाऔलाद फौत), भरोसी, बच्चू एवं भगवानी पुत्री है। रघुवर के वारिसान मोती (लाऔलाद फौत), मवासी (लाऔलाद फौत), विजयसिंह, जवाहरसिंह है। विजयसिंह के वारिसान रूकम, विष्णु, सुमन्त तथा जवाहरसिंह का एक वारिस राजेन्द्र है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 12 रकबा 15 बिस्वा, 120 रकबा 16 बिस्वा, 201 रकबा 11 बिस्वा, 203 रकबा 9 बिस्वा, 99/1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 122/4,124/1,125/1 कुल रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 269 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 413 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 202/515 रकबा 7 बिस्वा, 87 रकबा 4 बिस्वा, 266/1 रकबा 16 बिस्वा, 239 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 262 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 13/499 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 14 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम महू इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सायलान व गैरसायलान के कॉमन एनसेस्टर मृतक फूली बल्द सुखदेव की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। जो जमाबन्दी रजिस्टर चकबन्दी सं0 1990 लगायत 1999 से भली प्रकार साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि ग्राम महूइब्राहिमपुर में सं0 2000 से 2020 यानि बीससाला के दौरान राज्य में चकबंदी की मुहीम के चलते आराजीयात वर्णित मद नं003 प्रार्थना पत्र के सं0 2000 के सेटिलमेन्ट चकबन्दी के बाद साबिक खसरा नम्बरान के बदले में सायलान को व गैरसायलान के बुजुर्गान को प्राप्त हुए उनके साबिक खसरा [illegible] रकबा 15 बिस्वा, 31 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 33 रकबा [illegible] 144 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 145 रकबा 18 बिस्वा, 159 रकबा 2 [illegible] 10 बिस्वा, 160 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 276 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 289 रकबा 16 बिस्वा, 318 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 347 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 475 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

ग्राम महूइब्राहिमपुर कुल किता 13 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा कायम किये हैं। जो खतौनी बन्दोबस्त 20 साला सम्बत् 2000 ता 2020 से भली प्रकार साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सम्बत् 2000 के बाद मृतक फूलीराम का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मृतक दीप परिवार के मुखिया व कर्ता खान रहे। जिनके नाम चकबन्दी के बाद खातेदारी दीप पुत्र फूली के नाम तब्दील कर दी गई। उस दौरान व गैरसायलान का संयुक्त हिन्दू परिवार था, आपसी भाईचारा था। एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। मृतक दीप सायलान व गैरसायलान के परिवार का अच्छा कुशल संचालक था।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र के बदले चकबन्दी के दौरान प्राप्त आराजीयात वर्णित मद नं04 प्रार्थना पत्र के मौजूदा नवीन खसरा नम्बरान सेटिलमेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 20 रकबा 0.92 है0, 48 रकबा 0.27 है0, 271 रकबा 0.25 है0, 333 रकबा 0.29 है0, 334 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, 335 रकबा 0.59 है0, 529 रकबा 0.17 है0, 545 रकबा 0.27 है0, 556 रकबा 0.13 है0, 557 रकबा 0.10 है0, 558 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.24 है0, 797 रकबा 0.70 है0, 798 रकबा 0.12 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.46 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सायलान व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिनका सायलान व गैरसायलान द्वारा बाहमी बंटवारा मनबंटनी के हिसाब से परिवार बढ जाने व अलग अलग रहने के कारण अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे हैं। अभी तक परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं थी। मगर अब गैरसायलान के दिमाग में रेवन्यू रिकार्ड मृतक दीप के नाम व उनकी मृत्यु के बाद गैरसायलान के नाम होने का गलत अर्थ लगाते हुए सायलान के साथ बेईमानी करने के लिए प्रयासरत हैं। जिसके चलते उन्होंने संयुक्त हिन्दू परिवार की करीब ढाई बीघा जमीन बेच दी है। जब उनसे कहा गया तो गैरसायलान ने अपने हिस्से में से बेचना बताया, इस पर बंटवारे के समय वे स्वंय ढाई बीघ जमीन कम लेने के लिए बचनबद्ध हैं तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पूर्ण खाते की जमीनों को स्वंय ही बैंक में गिरवी रख दिया है। सायलान द्वारा मना किया तो आमादा फिसाद हुए और सायलान के हिस्से की जमीनों को स्वंय ही हडपने व बेचान करने की खुले आम धमकी दी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 21.07.2017 को सायलान द्वारा सायलान व गैरसायलान के परिवार में गैरसायलान के लालच में व बदयान्ति के चलते पनप रहे आपसी विवाद का निस्तारण करने की गरज से गांव के गणमान्य व्यक्तियों को तथा दोनों पक्षों के कोमन रिश्तेदारान को एकत्रित कर गैरसायलान को समझाने व [illegible] का प्रयास किया, मगर गैरसायलान किसी की एक [illegible] और गैरसायलान द्वारा खुले आम धमकी दी है कि जमीन हमारे बा[illegible] है अब हमारे नाम है। इस जमीन में से हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर तुमने कोई मुकदमेबाजी की तो पूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:42:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जमीन को बेच देंगे। और यदि गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायलान को अूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना सम्भव नहीं है। इसलिए अपने हक, हकूकों की रक्षार्थ दावा व सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात खसरा नम्बर खसरा नम्बर 20 रकबा 0.92 है0, 48 रकबा 0.27 है0, 271 रकबा 0.25 है0, 333 रकबा 0.29 है0, 334 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, 335 रकबा 0.59 है0, 529 रकबा 0.17 है0, 545 रकबा 0.27 है0, 556 रकबा 0.13 है0, 557 रकबा 0.10 है0, 558 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.24 है0, 797 रकबा 0.70 है0, 798 रकबा 0.12 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.46 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रहन वय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं01 में बनाया गया सजरा गलत है, आधारहीन है। सजरे में दर्ज चंदरू के पुत्रगण गलत दर्ज किये हैं, इस कारण गलत तथ्यों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है, खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 दर्ज नहीं है, जबाव देना असंभव है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 में दर्ज आराजीयात प्रतिवादी सं01 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियॉ है, जो उनके पिता दी[illegible] सायलान व गैरसायल नं01 ता 3 का 60–70 साल पहले बहामी [illegible] के बुजुर्गान के समय हो गया था। मृतक फूली बल्द [illegible] होने से पूर्व ही फौत हो गया था और साय[illegible] बुजुर्गान अलग अलग हो गये, जिन्होंने अपनी भूमियों की अलग अलग खातेद[illegible] राजस्व रिकार्ड में करवा ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

और राजस्व रिकार्ड के अनुसार सायलान व गैरसायलान मोके पर काबिज व दखील हैं। सायलान के हिस्से में उनके खातेदारी की भूमियाँ राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज हैं। जिनके इन्द्राजात जमाबन्दी सं0 2070–73 की खाता संख्या 166 व 246 में दर्ज खसरा नम्बर खाता संख्या 371, 370, 43, 344, 343 में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हैं। जिनको वाद पत्र में सायलान ने बदयान्ति पूर्वक नहीं लिया है। सायलान ने झूंठा दावा व प्रार्थना पत्र महज गैनरसायलान की भूमि को हडपना लट्ठ के बल पर चाहते हैं। गैरसायलान अकेले व्यक्ति हैं। प्रार्थना पत्र सायलान ने क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है, जो खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है अस्वीकार है। सम्बत् 2000 से 2020 में ग्राम महूइब्राहिमपुर में कोई चकबन्दी नहीं हुई। सम्बत् 2070 में ग्राम महू में कोई सेटिलमेन्ट चकबन्दी नहीं हुई। खसरा नम्बरान सायलान ने अपूर्ण तथ्य लिखे हैं। ये समस्त भूमियाँ गैरसायलान के कब्जे काश्त की भूमियाँ हैं। जिन पर सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 में मृतक फूलीराम पुत्र सुखदेव का स्वर्गवास होना स्वीकार है, जो सम्बत् 2000 से पूर्व ही फौत हो गये, उनकी मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी की भूमियाँ उनके बुजुर्ग दीप के नाम नहीं आयी बल्कि दीप के नाम सम्बत् 2000 में अलग पर्चा जारी हुआ था और मृतक दीप पुत्र फूली कभी भी संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान नहीं रहा ना सदस्य रहा और कभी सायलान व गैरसायलान का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं रहा। शेष तथ्य इस मद में कपोल कल्पित लिख दिये हैं, जिनका कोई बजूद नहीं है। गैरसायलान 70 साल से अलग अलग रहते हैं। अलग अलग कारोबार है, गैरसायलान का परिवार छोटा होने के कारण सायलान की नीयत में बदयान्ति आ गयी और झूंठे मुकदमा की आड में गैरसायलान की भूमि को हडपना चाहते हैं। सायलान का 50–60 आदमीयों का गिरोह है, जो गैरसायलान की भूमि खसरा नम्बर 797 रकबा 0.70 है0, व 798 रकबा 0.12 है0 की रखी सम्पूर्ण बाजरा की बालों में व कडवी में सायलान ने मजमा खिलाफ कानून बनाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी तथा गैरसायलान की फसल को नष्ट कर दिया जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाना सदर हिण्डौन में दर्ज है। गैरसायलान की बाडे की भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 0.55 है0 में हिस्सा 1/3 की भूमि को हडप कर दबंग आदमियों को बेच दिया है। पंजाब नेशनल बैंक का कार्यालय फर्जीबाडा करके खुलवा दिया है। इस तरह से सायलान की नीयत में बदयांति है तथा एक खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 0.27 है0 में कटी हुई फसल बाजरा को ट्रेक्टर हेरो(प्लाऊ) से नष्ट कर दिया जिसका भी मुकदमा गैरसायलान ने पुलिस थाना [illegible] गैरसायलान को सायलान गांव से भगाना चाहते हैं। प्राईमाफेसी केस सायलान का नहीं है बल्कि गैरसायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 0.22 है0 का सेटिलमेन्ट विभाग ने कोई तरमीम नहीं किया है, गलत दर्ज किया है, शेष समस्त खसरा नम्बरान गैरसायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमिया हैं, वर्तमान में भी गैरसायलान अपने हिस्से की आराजीयात में फसल दर फसल आज दिन तक काश्त करते चले आ रहे हैं। जिनसे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान का बंटवारा उनके बुजुर्गान के समय हो गया है। गैरसायलान के कब्जे काश्त की भूमियों से सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। सायलान के बुजुर्गान व गैरसायलान के बुजुर्गान करीब 70 साल से आज दिन तक अलग अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गैरसायलान के पिता दीप के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि उनकी स्वअर्जित भूमिया हैं, दीप के फौत होने पर गैरसायलान के नाम विरासत में खातेदारी प्राप्त हो चुकी है, जिसके समस्त इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में आज दिन तक दर्ज हैं। गैरसायलान ने ढाई बीघा जमीन किसी को भी विक्रय नहीं की है बल्कि सायलान में से कई खातेदारान ने उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की अलग भूमियों को विक्रय कर दिया है, जिनको प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है। सायलान व गैरसायलान की भूमियॉ संयुक्त खातेदारी में कभी नहीं रही है। गैरसायलान की स्वअर्जित भूमियॉ है। जिन पर मौके पर सायलान का कब्जा काश्त मौजूद है। गैरसायलान ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमियों को बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर में गिरवी रखकर किसान केडिट कार्ड ले रखा है तथा इससे पूर्व उक्त भूमियों पर बैंक से ऋण पर ट्रेक्टर लिया था। उस समय सायलान नं01 ता 3 के पिता पूरनसिंह पुत्र श्रीलाल व सायल नं0 7 व 8 के पिता भगवत ऋण की पत्रावली में गवाह रहे हैं, जो फौत हो चुके हैं। उस समय सायलान के बुजुर्गान ने विवादित भूमि पर कोई उज्र नहीं की। गैरसायलान ने बैंक में गैरसायलान की खातेदारी की भूमि को गिरवी रखने वाली बात सायलान व उनके बुजुर्गान की है। गैरसायलान की भूमि से सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान लालची नहीं है और गैरसायलान के मन में कोई बदयान्ति नहीं है। सायलान व गैरसायलान ने कोई रिश्तेदारान एकत्रित नहीं किये। विवादित आराजी गैरसायलान की है। दिनांक 21.07.2017 को कोई धमकी नहीं दी, ना ही कोई बातचीत हुई। बल्कि अब सायलान के मन [illegible] है, जो गैरसायलान की भूमि वेशकीमती जमीन को [illegible] सायलान अपने मंसूबे में सफल हो गये तो गैरसायलान के बर्बाद हो जायेंगे। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण स्वीकार नहीं है। गैरसायलान का कोई गैरकानूनी मंसूबा नहीं है। बल्कि सायलान का गैरकानूनी मंसूबा है, जो कि गैरसायलान की भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं। यदि सायलान अपने गैरकानूनी मंसूबे में सफल हो गये तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, इसलिए गैरसायलान को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि पर सायलान का कोई कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं09 गलत है, अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन नहीं है बल्कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के ही पक्ष में है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र टी0आई0 निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान ने दावा अपूर्ण पेश किया है। सायलान गैरसायलान की भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं03 द्वारा अपने हिस्से की भूमि को गैरसायल नं01 व 2 के हक में रिलीज(हक त्याग) कर चुकी हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि पर सायलान का कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं है, इस कारण कब्जे के अभाव में दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा चलने योग्य नहीं हैं तथा कोई रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात गैरसायल सं01 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियॉं है, जो उनके पिता दीप से विरासत में प्राप्त हुई हैं। सायलान व गैरसायल सं01 ता 3 को 60–70 साल पहले बाहमी बंटवारा हो गया था। मृतक फूली बल्द सुखदेव राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व ही फौत हो गया था और सायलान व गैरसायलान के बुजुर्गान अलग अलग हो गये , जिन्होंने अपनी भूमियों को अलग अलग खातेदारी राजस्व रिकार्ड [illegible] करवा ली और मौके पर अपने अपने हिस्सों पर अलग अलग क[illegible]ये। सायलान के हिस्से में उनके खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड में [illegible] है जिनके इन्द्राजात जमाबन्दी सं0 2070–73 के खसरा सं0 [illegible]370, 43,344,343 में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हैं, जिनको वाद पत्र व प्रार्थना[illegible] में सायलान ने बदयांति पूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम मिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दर्ज नहीं किया है। सायलान व गैरसायलान का अलग खाता तथा अलग पर्चा लगान कायम हो चुके हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि सायलान ने अपना हिस्सा दीगर लोंगों को बेचान कर दिया हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं017 में दर्ज किया है कि सायलान माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। गैरसायलान ने अपने हिस्से की खातेदारी की भूमियों पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर में गिरवी रखकर किसान केडिट कार्ड ले रखा है तथा बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर को सायलान ने अपने दावा में पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण दावा हाजा में मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुख्श आरिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं018 में दर्ज किया है कि इससे पूर्व उक्त भूमियों पर बैंक से ऋण पर ट्रेक्टर लिया था, उस समय सायल नं01 ता 3 के पिता पूरनसिंह व श्रीलाल व सायल सं07 व 8 के पिता भगवत ऋण की पत्रावली में गवाह रहे हैं। इस प्रकार गैरसायलान ने बैंक में गैरसायलान की खातेदारी की भूमि को गिरवी रखने वाली बात सायलान व उनके बुजुर्गान की जानकारी में है। गैरसायलान की भूमि से सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2000 लगायत 2019, फोटो प्रति नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा महूइब्राहिमपुर तहसील घौंसला निजामत हिण्डौन सम्बत् 1990–1999, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2066 – 69 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 किता 3 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। सायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2000 लगायत 2019 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर, 21 रकबा 4 बिस्वा, 28 रकबा 15 बिस्वा, 32 रकबा 1 बीघा [illegible] रकबा 16 बिस्वा, 69 रकबा 11 बिस्वा, 144 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 14[illegible] रकबा [illegible] बिस्वा, 159 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 160 रकबा 2 बी[illegible] बीघा [illegible] बिस्वा, 289 रकबा 16 बिस्वा, 318 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 347 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 475 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा [illegible]0 बीघा 17 बिस्वा स्थित ग्राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

महूइब्राहिमपुर की खातेदारी दीपचन्द बल्द फूली कौम जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा महूइब्राहिमपुर तहसील घौंसला निजामत हिण्डौन सम्बत् 1990–1999 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 12 रकबा 15 बिस्वा, 120 रकबा 16 बिस्वा, 201 रकबा 11 बिस्वा, 203 रकबा 9 बिस्वा, 99/1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 122/4,124/1,125/1 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 269 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 413 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 202/515 रकबा 7 बिस्वा, 87/506 रकबा 4 बिस्वा, 226/1 रकबा 16 बिस्वा, 239 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 262 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 13/499 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 14 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी फूली बल्द सुखदेव कौम जाट सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2066 – 69 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 20 रकबा 0.92 है0, 48 रकबा 0.27 है0, 271 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.30 है0, 333 रकबा 0.29 है0, 334 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, 335 रकबा 0.59 है0, 524 रकबा 0.17 है0, 545 रकबा 0.27 है0, 556 रकबा 0.13 है0, 557 रकबा 0.10 है0, 558 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.24 है0, 797 रकबा 0.70 है0, 798 रकबा 0.12 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.46 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी ग्यासी रामचरण भरोसी बच्चूसिंह पिसरान दीप जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 – 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 568 रकबा 0.26 है0, 574/931 रकबा 0.17 है0, 603 रकबा 0.71 है0, 604 रकबा 0.03 है0, 605 रकबा 0.69 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह बच्चू गोविन्द पि0 पूरन माया पुत्री पूरन मु0 सरवती बेबा पूरन हि0ब0 1/2, चौथी पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार राहिन एस0बी0बी0जे0 शाखा हिण्डौन मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 – 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 47 रकबा 0.11 है0, 972/322 रकबा 0.09 है0 किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रूकमसिंह, विष्णु सुमन्त पि0 विजयसिंह [illegible] जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा महूखास [illegible] रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल [illegible] – 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 42 रकबा 0.07 है0, 405 रकबा 1.06 है0, 406 रकबा 0.61 है0, 407 रकबा 0.03 है0, 408 रकबा 1.00 है0, 417 रकबा 0.75 है0, 418

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.70 है0, 555 रकबा 0.54 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.76 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरगिलास पुत्र हरचन्दी हि01/5, रविन्द्र कुमार दत्तक पुत्र बलजीत हि0 1/5 राहिन पी0एन0बी0 शाखा महूखास, दलगंजी पुत्र पदम हि01/5, भगवतसिंह समयसिंह रमेश पि0 चतरू हिस्सा बराबर हि0 19/120 राहिन ओ0बी0सी0 शाखा हिण्डौन, भूरसिंह दत्तक पुत्र जल्ली हि0 1/5, मुक्ती बेबा चतरू हि0ब0 हि01/24 जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 – 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 517 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरगिलास पुत्र हरचन्दी हि01/5, दलगंजी पुत्र पदम हि01/5, रविन्द्र कुमार दत्तक पुत्र बलजीत हि0 1/5, भूरासिंह दत्तक पुत्र जल्ली हि0 1/5, भगवतसिंह समयसिंह रमेश पि0 चतरू मुक्ती बेबा चतरू हिस्सा बराबर हि0 हि01/5 जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 – 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 320 रकबा 0.56 है0, 328 रकबा 0.37 है0, 999/329 रकबा 0.32 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा महूखास के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 – 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 321 रकबा 0.56 है0, 323 रकबा 0.21 है0, 973/322 रकबा 0.36 है0, 1000/329 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रूकमसिंह, विष्णु सुमन्त पि0 विजयसिंह हि0बराबर जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा महूखास मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 20 रकबा 0.92 है0, 48 रकबा 0.27 है0, 271 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.30 है0, 333 रकबा 0.29 है0, 334 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, 335 रकबा 0.59 है0, 524 रकबा 0.17 है0, 545 रकबा 0.27 है0, 556 रकबा 0.13 है0, 557 रकबा 0.10 है0, 558 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.24 है0, 797 रकबा 0.70 है0, 798 रकबा 0.12 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.46 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी ग्यासी रामचरण भरोसी बच्चूसिंह पिसरान दीप जाति जाट [illegible] बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड [illegible] दीप बल्द फूली से विरासत में मिली है। उक्त विवादित आराजीयात [illegible] फूली से विरासत में प्राप्त हुई हो सायल [illegible] सबूतों से साबित नहीं होता है। सम्बत् 2000 से 2019 में जो खतौनी तैयार [illegible]ाई थी एवं 1990–1999 की जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बरान आपस में मेल नहीं खाते हैं यदि सम्बत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

[Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी]

[signature]
खण्ड अधिकारी
न सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

2000 से पूर्व सेटिलमेन्ट हुआ तो उसका मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश करते एवं हाल सेटिलमेन्ट के सम्बन्ध में भी मिलान क्षेत्रफल की प्रति सायलान की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है तथा गैरसायलान के द्वारा पेश की गई जमाबन्दीयों में जो भूमि सायलान की पृथक पृथक रूप से खातेदारी में दर्ज है वह भूमि सायलान को कहॉ से प्राप्त हुई। सायलान के नाम ग्राम महूइब्राहिमपुर में उक्त विवादित आराजीयात के अलावा अन्य भूमि की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान के इस कथन की पुष्टि होती है कि सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वजों ने सम्बत् 2000 से पूर्व ही फूली पुत्र सुखदेव की आराजीयात का बंटवारा कर लिया था तथा सम्बत् 2000 से पूर्व ही सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वज फूली पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर फौत होना प्रतीत होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा छोडी गई आराजीयात का मुताविक बंटवारे के आधार पर सम्बत् 2000 के बाद खातेदारी फूली के वारिसान के नाम दर्ज होना प्रतीत होता है। सायलान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सम्बत् 2000 से ही विवादित आराजीयात गैरसायलान व उनके पिता दीप की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति क बिन्दू सायलान के पक्ष में नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में होना साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक,हकूकें पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 0.92 है0, 48 रकबा 0.27 है0, 271 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.30 है0, 333 रकबा 0.29 है0, 334 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, 335 रकबा 0.59 है0, 524 रकबा 0.17 है0, 545 रकबा 0.27 है0, 556 रकबा 0.13 है0, 557 रकबा 0.10 है0, 558 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.24 है0, 797 रकबा 0.70 है0, 798 रकबा 0.12 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.46 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26-7-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (क...)

Scanned by CamScanner